

202505/30508034

न्यायालय तहसीलदार मगरलोड जिला धमतरी (छ0ग0)

20/05/तह0/वा.1/2025
प्रति,

//ज्ञापन//

मगरलोड, दिनांक 16/01/25

अनुविभागीय अधिकारी,
(राजस्व) कुरुद
जिला-धमतरी, छ0ग0

विषय :- जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के संबंध में बाबत।

:00:

आवेदक विष्णुराम सिन्हा पिता हीरामन सिन्हा निवासी ग्राम-बिरझुली, पहन-29, तहसील-मगरलोड, जिला-धमतरी स्थित भूमि खसरा नम्बर 281 रकबा 0.18 हे भूमि में स्थित 06 नग सागौन वृक्ष की कटाई बाबत आवेदन श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कुरुद के समक्ष प्रस्तुत होकर वृक्ष काटने संबंधित छ0ग0 भू0रा0 सं0 1959 की धारा 240, 241 के तहत एवं इस हेतु निर्मित नियमों के तहत प्रावधानुसार अनुमति बाबत मय आवेदन मूलत जांच हेतु प्राप्त हुआ है।

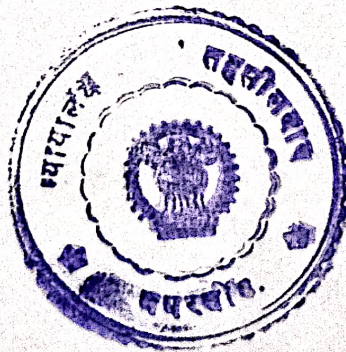
प्रकरण में वन परिक्षेत्र अधिकारी, वन परिक्षेत्र उत्तर सिंगपुर मगरलोड एवं हल्का पटवारी से संयुक्त जांच कर प्रतिवेदन लिया गया। प्रतिवेदन अनुसार ग्राम-बिरझुली स्थित भूमि खसरा नम्बर 281 रकबा 0.18 हे0 में सागौन वृक्ष 06 नग स्थित है। है जिसे कटाई के अनुमति के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है वाद भूमि पर स्थित वृक्ष की जानकारी निम्नानुसार है :-

क	प्रजाति	गोलाई (से.मी).	वृक्ष संख्या
01	सागौन	61-90	01
02	सागौन	91-120	05
	योग		06

अतः खसरा नम्बर 281 रकबा 0.18 हे. में स्थित कुल 6 सागौन वृक्ष है। जिसमें प्रजाति सागौन वृक्ष 01 नग, 61-90 गोलाई(से0मी) एवं सागौन 05 नग, 91-120 गोलाई (से0मी) है। वाद भूमि आवेदक के खाते की निजी भूमि है तथा जिससे भविष्य में क्षतिग्रस्त होने की अंशका है अतएव सागौन वृक्ष 06 नग है जिसे काटे जाने की अनुसंशा सहित उचित कार्यवाही हेतु आपकी ओर सादर संप्रेषित है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार ।


न्याय तहसीलदार
मगरलोड



144
R
20-01

प्ररूप-घ
[नियम 7 (1) देखिये]
निरीक्षण प्रतिवेदन

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
अनुविभाग कुरुद जिला धमतरी छ.ग.

वृक्ष-
संदर्भ-

वृक्ष कटाई के संबंध में स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन।
आपके न्यायालय का जापन क्रमांक 232/35 दि. 31/01/2024 दिनांक 24.01.24

संदर्भित आदेश के अनुपालन में संयुक्त स्थल निरीक्षण दिनांक 12.08.24 को किया गया। स्थल निरीक्षण के दौरान साक्षी के रूप में निम्नलिखित उपस्थित रहे-

- (क) आवेदक एवं उसके नातेदार विष्णु राम सिन्हा,
(ख) सरपंच/पंच धनसाय,
(ग) पटवारी/कोटवार केवल राम साहू,
(घ) स्वतंत्र स्थानीय साक्षी पुरुषोत्तम, परमेश्वर, राजकुमार, लोचन

तहसील कार्यालय में हुए पंजीयन पंजी एवं राजस्व अभिलेख (बी-1/खसरा) के अवलोकन के आधार पर खाते में स्थित वृक्षों का विवरण निम्नानुसार है:-

- (क) खाते पर प्राकृतिक रूप से उगे वृक्षों की प्रजाति और संख्या सागौन 06 नग
(ख) खाते पर रोपित वृक्षों की प्रजाति और संख्या सागौन 06 नग
(ग) पूर्व में इस खाते पर प्राकृतिक रूप से उगे वृक्षों को काटने की अनुशंसा दिनांक 06/12/20 को दी गई थी।

स्थल निरीक्षण से ज्ञात होता है कि-

- (क) खाते के शुष्क वृक्षों की प्रजाति और संख्या सागौन 06 नग
(ख) खाते के परिपक्व वृक्षों की प्रजाति संख्या सागौन 06 नग
(ग) कृषि/व्यवसाय के हित में कटाई हेतु जरूरी वृक्षों की प्रजाति और संख्या सागौन 06 नग
(घ) नियम 2 की लागू कंडिका, सागौन 61/90 - 1 नग
यदि कोई हो सागौन 91/120 - 5 नग
(ङ) अन्य विवरण 6 नग

राजस्व अधिकारी का नाम,
पदनाम

हस्ताक्षर

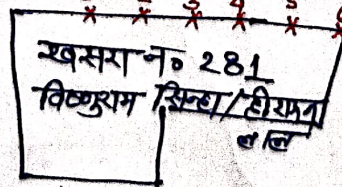
वन अधिकारी का
पदनाम

सहायक वनक्षेत्र अधिकारी
मोहदी

हस्ताक्षर

नमरी नक्शा:- प्लॉट नं. 29, किरछुली, रा.गि.म. मोहदी
तह. मगरबोड, जिला - धमतरी (छ.ग.)

लोचनाथ
का क्षेत्र



टेकराम का क्षेत्र

धनसाय, गोपाल का क्षेत्र

टीप:- सागौन वृक्ष 06 नग (x लाल रंग) ख. 281 के क्षेत्र में अंकित जगह पर स्थित हैं। सागौन वृक्ष की कटाई हेतु नमरी नक्शा कृषक की मांग पर जारी।

कार्यालय वन परिक्षेत्र अधिकारी उत्तर सिंगपुर परिक्षेत्र

☎ 75870-11502

E-mail – northsingpur@gmail.com

क्रमांक/उ.सिंगपुर/मोहदी/325

दिनांक 09/03/2024

प्रति

वनमण्डलाधिकारी

सामान्य वनमण्डल धमतरी

विषय :- जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने बाबत ।

संदर्भ :- आपका पत्र क्र/राजस्व I/998 दिनांक 13.02.2024

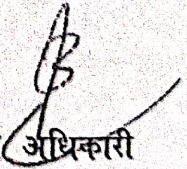
==000==

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि संदर्भित पत्र द्वारा आवेदक श्री विष्णुराम सिन्हा पिता हीरामन सिन्हा निवासी ग्राम बिरझुली, तहसील मगरलोड, जिला धमतरी द्वारा ग्राम बिरझुली खसरा नंबर 281 रकबा 0.18 हे. में स्थित 06 नग सागौन वृक्ष की छ.ग. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 240, 241 के तहत कटाई की अनुमति चाही गयी है। तत्संबंध में स0प0अ0 मोहदी श्री मुकुन्दराव वाहने द्वारा अधिनस्थ स्टाफ के साथ दिनांक 24.02.2024 को ग्राम के पंचों के समक्ष संयुक्त स्थल निरीक्षण कर सागौन वृक्षों का सत्यापन किया गया तथा वृक्षों की माप एवं गणना कर मार्किंग रिकार्ड किया गया। पश्चात् स्थल निरीक्षण जांच प्रतिवेदन मय स्थल पंचनामा प्रस्तुत किया गया है। मार्किंग रिकार्ड अनुसार उक्त आवेदित भूमि में निम्नानुसार वृक्ष पाये गये:-

क्र	प्रजाति	गोलाई वर्ग	वृक्ष संख्या
1	सागौन	61-90	1
2	सागौन	91-120	5
	योग :-		6

उपरोक्तानुसार 06 नग सागौन वृक्ष पूर्णतः परिपक्व हो चुके हैं जिन्हें आवेदक मालिक मकबूजा के तहत कटवाकर विभाग में विक्रयकर आर्थिक लाभ चाहता है। अतएव जानकारी सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्प्रेषित ।

प्रमाण :- मार्किंग रिकार्ड बुक मय पंचनामा स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन


परिक्षेत्र अधिकारी
उत्तर सिंगपुर



कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, धमतरी वनमण्डल, धमतरी (छत्तीसगढ़)

☎ 07722-238371(O), 236137(Fax), E-mail - dfo-dhamtari.cg@gov.in

क्रमांक/राजस्व II/आर/4661
प्रति,

धमतरी, दिनांक :- 29/08/2024

अनुविभागीय अधिकारी
(राजस्व) कुरुद
जिला-धमतरी

विषय :- जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने बाबत।

संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक/232/अ.वि.अ./वा.-1/2024 दिनांक 24.01.2024

—00—

विषयांतर्गत लेख है कि आपके संदर्भित पत्र के अनुसार आवेदक विष्णुराम सिन्हा पिता हीरामन सिन्हा निवासी ग्राम बिरझुली तहसील मगरलोड जिला-धमतरी द्वारा ग्राम बिरझुली तहसील-मगरलोड जिला-धमतरी में स्थित भूमि खसरा नंबर 281 रकबा 0.18 हे. में स्थित 06 नग सागौन वृक्ष की कटाई हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है।

वन परिक्षेत्र अधिकारी उत्तर सिंगपुर के पत्र क्रमांक/उ.सिंगपुर/मोंहदी/320 दिनांक 09.03.2024 के अनुसार राजस्व एवं वन विभाग के अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से मौका निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। 06 नग सागौन वृक्ष पूर्णतः परिपक्व हो चुके हैं जिन्हें आवेदक मालिक मकबूजा के तहत कटवाकर विभाग में विक्रय कर आर्थित लाभ चाहता है फार्म फेक्टर गणना पत्रक अनुसार निम्नानुसार अनुमानित लकड़ी प्राप्त होगा:-

क्र.	वृक्ष संख्या	अनुमानित उत्पादन		योग (घ.मी.)
		ईमारती (घ.मी.)	जलाऊ (घ.मी.)	
1	6	1.970	0.495	2.465

अतः 06 नग सागौन वृक्षों के कटाई की अनुशंसा की जाती है।

संलग्न:- मार्किंग रिकार्ड बुक मय पंचनामा स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन।

2719
R-1
13

वनमण्डलाधिकारी
धमतरी वनमण्डल, धमतरी

प्रति :

श्री मान वन परिक्षेत्र अधिकारी
परिक्षेत्र कार्यालय उत्तर सिंगपुर

विषय :- जांच प्रतिवेदन बाबत ।

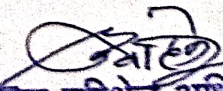
संदर्भ :- व.म.अ. धमतरी का पत्र क./राजस्व/I/998 धमतरी दिनांक 13.02.2024

उपरोक्त विषयांतर्गत एवं संदर्भितनुसार आवेदक विष्णुराम सिन्हा पिता हिरामन सिन्हा निवासी ग्राम बिरझुली तहसील मगरलोड जिला धमतरी द्वारा ग्राम बिरझुली में स्थित भूमि खसरा नं. 281 रकबा = 0.18 हेक्टेयर में स्थित 6 नग सागौन वृक्ष की कटाई के संबंध में सहायक परिक्षेत्र अधिकारी मोहदी को उपरोक्त तथ्यों की जांच कर प्रतिवेदन देने एवं वृक्ष की छाती गोलाई स्थल गुण श्रेणी; हालात एवं पंचनामा अनुशंसा के साथ प्रस्तुत करने लेख किया गया है। जिसमें आवेदक विष्णू राम सिन्हा के खेत के मेंड में 6 नग सागौन वृक्ष है जो सत्य है एवं आवेदक अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिये वृक्षों की कटाई करवाना चाहता है वृक्षों की हालत स्वस्थ एवं इमारती है आवेदक द्वारा अपनी आर्थिक तंगी को दूर करने एवं अपने परिवार का पालन पोषण करने में उक्त ईमारती सागौन 6नग को कटाई करना चाहता है जिसे स्वीकृती प्रदान करने की कृपा करें।

विवरण :-

वृक्षों की छाती गोलाई की माप
प्रजाति - सागौन (1) 1.09 मी.
(2) 1.10 मी.
(3) 1.11 मी.
(4) 1.06 मी.
(5) 1.03 मी.
(6) 83 से.मी.

योग = 6 नग = 6.220


सहायक परिक्षेत्र अधिकारी
मोहदी

